महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय,बरेली
MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

पत्रांक :रू0वि0/सम्बद्धता/2018/333-337 दिनांक: 28.12.2018

सेवा में,

प्रबन्धक/सचिव
धनवन्तरी आयुवेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हॉस्पिटल,
ग्रा0 चिटौली, पो0 फतेहगंज,
बरेली।

विषय– धनवन्तरी आयुवेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हॉस्पिटल, ग्रा0 चिटौली, पो0 फतेहगंज, बरेली को बी0ए0एम0एस0 पाठ्यकम में शैक्षिक सत्र 2018–19 हेतु अस्थायी सम्बद्धता प्रदान करने के संबंध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (द्वितीय संशोधन) 2014 की धारा 37(2) में निहित व्यवस्था के कम आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक F.No. R-12011/24/2015-EP(IM-1) दिनांक 14.09.2018 एवं विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण मण्डल की संस्तुति दिनांक 30.10.2018 एवं सम्बद्धता समिति की बैठक दिनांक 28.12.2018 द्वारा की गयी संस्तुति के आलोक में धनवन्तरी आयुवेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हॉस्पिटल, ग्रा0 चिटौली, पो0 फतेहगंज, बरेली को बी0ए0एम0एस0 पाठ्यकम में 60 सीट की अस्थायी सम्बद्धता सत्र 2018–19 हेतु निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है–

1. संस्था द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश 2003 द्वारा मूल अधिनियम 1973 की धारा–37(2) में प्रावधानित परन्तुक के अनुसार आगामी सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा की स्थिति में छात्रों का प्रवेश स्वतः प्रतिबन्धित रहेगा।
2. संस्थान/महाविद्यालय सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता आदेश में इंगित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रति वर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्त निरन्तर पूरी कर रहा है।
3. संस्था, शासनादेश सं0 2951/सत्तर–2–2003–16(92)/2002 दिनांक 02 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशानिर्देश एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी। रिट याचिका संख्या 61859/2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2018 के अनुपालन हेतु।
4. मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के संबंध के शासनादेश सं0 522/सत्तर–2–2013–2(652)/2012 दिनांक 30 अप्रैल 2013 का अनुपालन महाविद्यालय को करना होगा।
5. यदि संस्थ्स द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
6. संस्था में दिव्यांग जनों की सुविधा हेतु स्लैप का निर्माण करया जाना आवश्यक होगा।
7. संस्था को प्रत्येक वर्ष AISHE का DCF-II का फार्म अपलोड करना अनिवार्य होगा।
8. संस्थान आयुष मत्रांलय, भारत सरकार,नई दिल्ली द्वारा निर्गत आदेशों/निर्देशो का पालन करेगा अन्यथा की स्थिति में संस्थान स्वयं उत्तरदायी होगा।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. निजी सचिव, कुलपति को कुलपति महोदय के सज्ञानार्थ।
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली।